

प्रेषक,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाएं,
उत्तर प्रदेश।

संख्या : 2322 /संप्रपप/ई०-2(प्रशा०)/2017, दिनांक : 24 जुलाई, 2017
विषय : आनलाइन काउन्सिलिंग-2017 के पश्चात रिक्त रहने वाली सीटों पर शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रवेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर यह सूचित करना है कि परिषद की आनलाइन काउन्सिलिंग के चारों चरण दिनांक 31.07.2017 को समाप्त होने के पश्चात प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2 से निर्गत शासनादेश संख्या-2225/सोलह-प्रा०शि०-3-2012, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 एवं अनुदानित संस्थाओं के लिए शासनादेश संख्या-2237/सोलह-प्रा०शि०-3-2012-15(58)/09, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के द्वारा निर्धारित की गई नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम (सर्वप्रथम उन छात्रों को वरीयता दी जायेगी जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की परीक्षा में क्वालीफाई कर रैंक प्राप्त किये हों) में प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,



(एफ०आर० खान)

सचिव

पृ०सं० एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ०प्र० शासन का सूचनार्थ।



(एफ०आर० खान)

सचिव